

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 सितम्बर 2015—भाद्र 20, शक 1937

भाग ४

विषय-सूची

- | | | | |
|-----|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) | (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) | (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) | (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)
अंतिम नियम

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2015

क्र. एफ-1-20-15-तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1998 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची-चार में, कालम (2) में, अनुक्रमांक (8) (ख) में, शब्द और कोष्ठक "तकनीकी सहायक (लेखन) पर्यवेक्षक" के स्थान पर, शब्द और कोष्ठक "तकनीकी सहायक (लेखन)/ पर्यवेक्षक" स्थापित किए जाएं.

No. F 1-20-2015-XXX.—In exercise of powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in Madhya Pradesh Archaeology, Archives and Museum (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1998, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in Schedule-IV, in Column (2), at serial no. (8) (b) for the words and bracket "Technical Assistant (Writing) Supervisor" the words and bracket "Technical Assistant (Writing)/Supervisor" shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश प्रसाद मिश्र, उपसचिव.